राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1 अपील संख्या–1647/2016/उदयपुर
2 अपील संख्या–1648/2016/उदयपुर

मैसर्स श्रीनाथ एजेन्सी, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

उपायुक्त (प्रशासन)
वाणिज्यिक कर, उदयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :
श्री पी. डी. जावरिया
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री अनिल पोखरना
उप–राजकीयअभिभाषक .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

दिनांक : 30.05.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपील उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'उपायुक्त प्रशासन'** कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण क्रमांक 26 व 27 /15–16/कर/उपा(प्र)उदय में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.02.2016 पर दोनों प्रकरणों में पारित पृथक–पृथक पारित आदेश क्रमशः दिनांक 31.05.2016 व 01.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
2. उक्त दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जायेगी।
3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–ब, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के क्रमशः वर्ष 2006–07 व 2007–08 का कर निर्धारण आदेशों अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 23 के तहत एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए मांग सृजित की गयी। उक्त दोनों प्रकरणों का विवरण सुविधा की दृष्टि से निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जा रहा है:–

अपील संख्या	उपायुक्त प्रशासन की प्रकरण संख्या	कर निर्धारण वर्ष	उपायुक्त प्रशासन की आदेश दिनांक	कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक	कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि (रूपये)
1647/2016	26 /15–16	2006–07	31.05.2016	12.03.2009	99,815/–
1648/2016	27 /15–16	2007–08	01.06.2016	30.03.2010	81,313/–

लगातार.....2.

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2009 के संबंध में वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2016 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31.05.2016 को इस आधार पर निरस्त किया गया कि धारा 23 के तहत् नोटिस जारी करने की विधिक आवश्यकता नहीं है। इस लिये यह एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई समुचित आधार नहीं है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 के संबंध में वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 10.02.2016 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.06.2016 को इस आधार पर निरस्त किया गया कि समुचित कारणों के आभाव में 3 वर्ष के विलम्ब को क्षमा कर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। उपायुक्त प्रशासन के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अपने इन कथन के साथ अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2009 को पारित करने से पूर्व जारी नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2009 की तामील अपीलार्थी को हो गयी है ऐसा तथ्य भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपायुक्त

लगातार.....3.

प्रशासन की पत्रावली के पृष्ठ सं. 7 पर सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी घट द्वितीय वृत्त उदयपुर द्वारा उपायुक्त प्रशासन को दिनांक 11.04.2016 को प्रेषित टिप्पणी में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त आलौच्य अवधि के कर निर्धारण के पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2009 की तामील भी अपीलार्थी को नहीं करवायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.03.2009 द्वारा राशि रूपये 99815/– मांग सृजित की गयी है इस लिये यह आदेश धारा 23 में पारित कर निर्धारण आदेश की परिधि में नहीं आता है। अतः उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस लिये यह आदेश एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में आता है।

9. कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 को पारित करने से पूर्व जारी नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है किन्तु उक्त नोटिस की तामील अपीलार्थी को हो गयी हो ऐसा तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपायुक्त प्रशासन की पत्रावली के पृष्ठ सं. 7 पर सहायक वाणिज्यिक कर निर्धारण अधिकारी घट द्वितीय वृत्त उदयपुर द्वारा उपायुक्त प्रशासन को दिनांक 11.04.2016 को प्रेषित टिप्पणी में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त आलौच्य अवधि के कर निर्धारण के पूर्व नोटिस जारी की तामील अपीलार्थी पर नहीं हुई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई गयी हो तथा उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को हो गयी हो ऐसा कोई तथ्य कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2010 द्वारा राशि रूपये 81,313/– मांग सृजित की गयी है इस लिये यह आदेश धारा 23 में पारित कर निर्धारण आदेश की परिधि में नहीं आता है। अतः उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इस लिये यह आदेश एकपक्षीय आदेश की श्रेणी में आता है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा कि अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र, एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश के तहत् जारी डिमाण्ड नोटिस के व्यवहारी पर तामील के 30 दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार यह साबित है कि कोई डिमाण्ड नोटिस भी अपीलार्थी व्यवहारी को तामील नहीं हुआ है। जैसा कि पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघंन हुआ है। इस प्रकार उपायुक्त प्रशासन द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में धारा 34 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का आदेश पारित करने में

लगातार.....4.

विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से गुणावगुण पर कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को Reopen किया जाना न्यायोचित है। अतः उपायुक्त प्रशासन के उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है। उपायुक्त प्रशासन के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2016 व 01.06.2016 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 12.03.2009 व 30.03.2010 अपास्त किये जाते हैं तथा उक्त दोनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस आदेश प्राप्ति के 60 दिवस में नियमानुसार पुनः आदेश पारित करें।

11. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जाये।

30/05/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य